



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 2019/आषाढ़ 8, 1941

No. 387]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 2019/ASHADHA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

सं. 11/2019-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 460(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2019

**No. 11 /2019–Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 460(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable central tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

**सं. 10/2019-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 461(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए एकीकृत कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2019

**No. 10/2019–Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free

supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable integrated tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

### सं. 11/2019-एकीकृत कर (दर)

**सा.का.नि. 462(अ).**—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, उन सभी वस्तुओं पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा बिक्री दुकानों, आप्रवासन केन्द्रों के बाहर, द्वारा बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आपूर्ति किए जाते हों, उस संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है जो कि उन पर एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत लगाया जाता हो।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2019

### No. 11 /2019-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 462(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and on the recommendations of the Council, hereby exempts any supply of goods by a retail outlet established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, to an outgoing international tourist, from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. The notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

**सं. 11/2019-संघ राज्य कर (दर)**

**सा.का.नि. 463(अ).**— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए संघ राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2019

**No. 11/2019—Union Territory Tax (Rate)**

**G.S.R. 463(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable union territory tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

**सं. 1/2019-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)**

**सा.का.नि. 464(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन सभी

वस्तुओं पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा बिक्री दुकानों, आप्रवासन केन्द्रों के बाहर, द्वारा बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आपूर्त किए जाते हों, उस संपूर्ण प्रतिपूर्ति उपकरण से छूट प्रदान करती है जो कि उन पर माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लगाया जाता हो ।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी ।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2019

### No. 1/2019-Compensation Cess (Rate)

**G.S.R. 464(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), read with sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts any supply of goods by a retail outlet established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, to an outgoing international tourist, from the whole of the goods and services tax compensation cess leviable thereon under section 8 of the Goods and Services tax (Compensation to states) Act.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. The notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.